A 4/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 73/2021

1. शंकर पुत्र स्व0 मामचन्द
2. सुल्तान पुत्र स्व0 मामचन्द

   जाति समस्त जाट, निवासीगण दौरासर, तहसील व जिला झुंझुनूं जरिये मुख्त्यार खास महावीर प्रसाद पुत्र स्व0 श्योचन्द, जाति जाट, निवासी दौरासर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. महावीर प्रसाद पुत्र स्व0 श्योचन्द, जाति जाट, निवासी दोरासर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)।
4. दयालाराम पुत्र स्व0 श्योचन्द, जाति समस्त जाट, निवासी दोरासर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज)।
5. परमेश्वरी पत्नी जीताराम पुत्री श्योचन्द, जाति समस्त जाट, निवासी ग्राम बिशनपुरा, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)।
6. लाडो देवी पत्नी रामनाथ पुत्री श्योचन्द, जाति जाट, निवासी सौंथली तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
7. कमला पत्नी भरतराम पुत्री श्योचन्द, जाति जाट, निवासी उदावास, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)।
8. बरजी पत्नी विद्याधर पुत्री श्योचन्द, जाति जाट, निवासी सीथल, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राज0)।
9. राजेन्द्र पुत्र भागीरथ
10. विरेन्द्र पुत्र राजेन्द्र व निर्मला
11. ईश्वर पुत्र राजेन्द्र व निर्मला
12. सुनिता पुत्री राजेन्द्र व निर्मला

    जाति समस्त जाट, निवासीगण सीथल, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राज0)।
13. मायावती पत्नी मोहन पुत्री श्योचन्द, जाति जाट, निवासी मण्ड्रेला, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
14. कुरडाराम पुत्र स्व0 जीताराम
15. रामदेव पुत्री स्व0 जीताराम
16. चन्दगी पुत्र स्व0 जीताराम
17. औमप्रकाश पुत्र स्व0 जीताराम
18. रमेश कुमार दत्तक पुत्र स्व0 ताराचन्द उर्फ तारूराम
19. श्रवण पुत्र स्व0 बिरबल
20. सुभाष पुत्र स्व0 बिरबल
21. होशियार पुत्र स्व0 बिरबल
22. श्रीमती भगवानी पत्नी स्व0 बिरबल
23. धन्नाराम पुत्र स्व0 लक्ष्मण
24. श्रीमती सावित्री पत्नी स्व0 लक्ष्मण

    जाति समस्त जाट, निवासीगण दोरासर, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज)। जरिये मुख्त्यार खास महावीर प्रसाद पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी दोरासर तहसील व जिला झुंझुनूं।

——अपीलान्ट्स

बनाम

जिला कलक्टर झुन्झुनू

A-4/2

1. बलवीर सिह पुत्र श्री शिशपाल सिह, जाति जाट, निवासी आस्था लोक, फेज द्वितीय, रीको, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. नवीन कुमार पुत्र विद्याधर, जाति जाट, निवासी नई नायकान बस्ती, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)।
3. कर्मसिह पुत्र श्री शिवपाल सिह, जाति जाट, निवासी पातुसरी, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)।
4. अरूण अग्रवाल पुत्र श्री रविन्द्र कुमार, आयु 46 वर्ष, जाति महाजन, निवासी– प्लॉट संख्या 341 ए रोड़ नं. 23ए, जुबली हिल्स हैदराबाद
5. उमा अग्रवाल पत्नी श्री रविन्द्र कुमार, आयु 72 वर्ष, जाति महाजन निवासी– प्लॉट संख्या 341 ए रोड़ नं. 23ए, जुबली हिल्स हैदराबाद
6. कान्ता बाई पुत्री भंवरलाल, आयु 47 वर्ष, पत्नी श्री अजय कुमार, निवासी नरेडी खरतावावद हैदराबाद
7. देवेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बद्रीनारायण, आयु 50 वर्ष, जाति महाजन, निवासी हाउस नम्बर 8–2–684 / 3रु162एए रोड नं0 12 बंजारा हिल्स हैदराबाद
8. नर्बदा पत्नी बद्रीनारायण, आयु 82 वर्ष, जाति महाजन, निवासी हाउस नम्बर 8–2–603 / बी / एस01 / 5 / ए रोड नं0 10 बंजारा हिल्स हैदराबाद
9. राजेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री बद्रीनारायण, आयु 50 वर्ष, जाति महाजन, निवासी हाउस नम्बर 8–2–684 रोड नं0 12 बंजारा हिल्स हैदराबाद
10. गिरिजा बाई पुत्री बसन्त लाल पत्नी अजय कुमार गुप्ता, जाति महाजन, निवासी हाउस नं0 5–5–56 / 1, दारूसलम, गोश महल, हैदराबाद (तेलंगाना) जरिये मुख्त्यार रतनलाल टीबड़ा पुत्र स्व0 लादुराम, जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 19, मोदी रोड़ झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
11. दिनेश कुमार पुत्र स्व0 रामअवतार, जाति महाजन, हाल निवासी H.No. 21 -1-397/A Rikabgunj, Hyderabad 500002ए जरिये मुख्तयार रतनलाल टीबडा पुत्र स्व0 लादुराम, जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 19, मोदी रोड़ झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
12. नागेश अग्रवाल पुत्र स्व0 बनकटलाला अग्रवाल, जाति महाजन हाल निवासी H.No. 16-11-19/5/2/D Saleem Nagar, Malakpet, Hyderabad जरिये मुख्तयार रतनलाल टीबडा पुत्र स्व0 लादुराम, जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 19 मोदी रोड झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
13. पकोडी बाई उर्फ पपडी बाई पत्नी बसन्तलाल, जाति महाजन, निवासी हाउस नं0 8-2-293/82/ए / 2, प्लॉट नं. 1057बी / 2 जुबली हिल्स, हैदराबाद (तेलंगाना) जरिये मुख्तयार रतनलाल टीबडा पुत्र स्व0 लादुराम, जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 19, मोदी रोड़ झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
14. लक्ष्मीनारायण अग्रवाल पुत्र स्व0 दुलीचन्द अग्रवाल, जाति महाजन हाल निवासी H.No. 8-2-316/F road No. 14, Near Mount – Banjara High School Banjara Hills, Hyderabad जरिये मुख्तयार रतनलाल टीबडा पुत्र स्व0 लादुराम, जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 19 मोदी रोड झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
15. बिठलदास अग्रवाल पुत्र स्व0 दुलीचन्द अग्रवाल, जाति महाजन, हाल निवासी H.No. 8-2-684/3/K/8 to 10, MLA Colony, Road No. 12 Banjara Hills, Hyderabad 500034 जरिये मुख्त्यार रतनलाल टीबडा पुत्र स्व0 लादुराम जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 19, मोदी रोड़ झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
16. शंकरलाल अग्रवाल पुत्र बसन्तलाल अग्रवाल जाति महाजन हाल निवासी 8-2-293/A Plot N0. 52 Jubilee Hills, Hyderabad जरिये मुख्त्यार रतनलाल टीबडा पुत्र स्व0 लादुराम, जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 19, मोदी रोड़ झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

A-4/3

17. शान्ता बाई पुत्री स्व0 रामअवतार, जाति महाजन, हाल निवासी H. No. 21 -1-397/A Rikabgunj, Hyderabad 50002 जरिये मुख्त्यार रतनलाल टीबडा पुत्र स्व0 लादुराम, जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 19, मोदी रोड़ झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
18. शिवचरण अग्रवाल पुत्र स्व0 बनवारीलाल अग्रवाल जाति महाजन हाल निवासी Plot N0. -2-603/23/11 Rood No. 10 Banjara Hills, Hyderabad जरिये मुख्त्यार रतनलाल टीबडा पुत्र स्व0 लादुराम, जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 19, मोदी रोड़ झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
19. सरला बाई पुत्री बनकटलाल पत्नी अमरनाथ अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी 21.3.742 चेलापुरा, चारमिनार, हैदराबाद, जरिये मुख्त्यार रतनलाल टीबडा पुत्र स्व0 लादुराम जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 19, मोदी रोड़ झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनू।
20. हंसा बाई पुत्री बनकटलाल जाति महाजन निवासी हाउस नं. 16–11–19/5/2/डी सलीम नगर कॉलोनी हैदराबाद जरिये मुख्त्यार रतनलाल टीबडा पुत्र स्व0 लादुराम, जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 19, मोदी रोड़ झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
जरिये मुख्त्यार आम श्री रतनलाल टीबडा पुत्र स्व0 लादुराम आयु 69 वर्ष जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 19, मोदी रोड़ झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
21. सुनील दत्तक पुत्र मंगलाराम, जाति जाट, निवासी दोरासर, तहसील व जिला झुंझुनूं।

——रेस्पोडेन्ट्स

प्रथम अपील अ0धा0 75 राज भू राजस्व अधि0 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय बअदालत तहसीलदार झुंझुनूं जिला झुंझुनूं बाबत नामान्तरकरण संख्या 1084 ग्राम दोरासर आदेश दिनांक 16.10.2020

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश पूनिया, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 लगायत 20 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट सं0 21 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 21.11.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 16.10.2020 नामान्तरकरण संख्या 1084 वाके ग्राम दोरासर के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 96 जा0दी0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र दफा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट्स के अनुसार पटवार हल्का कुलोद कलां, तहसील व जिला झुझुनू ने ग्राम दोरासर में स्थित आराजी खसरा नं0 291 लगायत 299 के संबंध में विकय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं0 1084 दिनांक 05. 10.2020 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 के हक में भरा, जिस पर दिनांक 08.10.2020 को भू अभिलेख निरीक्षक ने जांच रिपोर्ट तैयार की और अदालत मातहत ने आदेश दिनांक 16.10.2020 को नामान्तरकरण स्वीकृत करने के आदेश पारित कर आदेश की पालना में दिनांक 16.10.2020 को नामान्तरकरण को स्वीकृत किया। इस कारण अपीलान्टस की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत ने अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर नही दिया हैं। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नही है। अदालत मातहत ने धारा 135 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू रूल्स 1957 के प्रावधानो की पालना नही की है। जमीन जैर बहस पर विकेतागण रेस्पोडेन्ट सं0 4 से 9 का विकय के रोज तथा पहले भौतिक कब्जा काश्त नही रहा और गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर बेचाननामा रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 के हक में करवाया गया। केतागण रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 को जमीन पर भौतिक कब्जा नही मिला। अदालत मातहत ने कब्जे के बिन्दू को नजर अंदाज कर नामान्तरकरण जैर बहस स्वीकार करने में कानूनी गलती

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

A-4

की है। कानून से रिकॉर्डेड सह खातेदारान् मे से कुछ सहखातेदारान द्वारा जमीन का बेचान किया जाता है तो कब्जे के बिन्दू पर रिपोर्ट लिया जाना आवश्यक होता है और कब्जे के सम्बन्ध मे नामान्तरकरण की पुश्त पर नक्शा भी तरमीम किया जाता है। अदालत मातहत ने उपरोक्त विधिक स्थिति को नजर अंदाज किया है। जमीन जैर बहस के बाबत विक्रेतागण रेस्पोडेन्ट सं0 4 से 9 व अपीलान्ट्स तथा रेस्पोडेन्ट सं0 10 से 20 के मध्य उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं की अदालत मे आदेश जैर बहस पारित होने व बेचाननामा तस्दीक होने के पहले में आदेश जैर बहस पारित होने व बेचाननामा तस्दीक होने के पहले से नियमित राजस्व वाद सं0 118/2018 लम्बित था जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 को व अदालत मातहत को रही है। बेचाननामा उपरोक्त दावा के लम्बित रहते हुये गलत रूप से करवाया गया है। उपरोक्त तथ्य को भी नजर अंदाज किया गया है। अदालत मातहत ने धारा 52 T.P. Act के प्रावधानो को नजरअंदाज किया है। अदालत मातहत को ऐसी सूरत में नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिये था। कानून से सक्षम न्यायालय में जमीन जैर बहस के बाबत यदि कोई दावा लम्बित रहता है तो उस सूरत में वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति रखा जाना आवश्यक होता है। उक्त सिद्धांत को अदालत मातहत ने नजरअंदाज किया है। अपील प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिन तय है। अपीलान्टस को बिना सुनवाई का अवसर दिए नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। ऐसी सूरत में अपीलान्ट्स को नामान्तरकरण जैर बहस की जानकारी नही हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने विकय पत्र निस्पादित व पंजीबद्ध करवाने के बाद दिनांक 09.08.2021 को जमीन को रहन रखने की धमकी दी। इस पर दिनांक 10.08.2021 को अपीलान्टस ने जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 9 के हक में हुए विरासत नामान्तकरण एवं उक्त बेचान के नामान्तकरण की जानकारी हुई। दिनांक 13.09.2021 को नामान्तकरण जैर बहस की नकल प्राप्त हुई। नामान्तकरण जैर बहस में विकय पत्र के पंजीयन की पुस्तक सं0 एवं जिल्द संख्या तथा पंजीयन कमांक का हवाला नही होने से उपपंजीयक झुंझुनूं के यहां बेचाननामा की जानकारी की और बेचाननामा की नकल प्राप्त की जो दिनाक 30.09.2021 को प्राप्त हुई। इस प्रकार संपूर्ण जानकारी 30.09.2021 को हुई। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Miseellaneous application no. 665/2021 in SMW(c) no. 3 of 2020 में पारित निर्णय दिनाक 23.09.2021 में प्रतिपादित सिद्धांत के मुताबिक अपील अन्दर मियाद पेश है। नामान्तकरण जैर बहस में वर्णित आराजियात कें संबंध में अपीलान्टस ने राजस्व अदालत मे नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा है। अपीलान्टस का जमीन जैर बहस पर कब्जा काश्त है। निर्णय जैर बहस से अपीलान्टस प्रभावित है। निर्णय जैर बहस अपीलान्टस के हितो के विपरीत है। जमीन का राजस्व रिकॉर्ड गलत बना हुआ है। गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर दावा लम्बित रहने के दौरान बेचान होकर नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है जो निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं0 10 से 20 दावा में पक्षकार है इस कारण कानूनी खामी से बचने के लिए बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया जा रहा है। अतः अपीलान्ट्स की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2020 बाबत नामान्तकरण सं0 1084 ग्राम दोरासर तहसील व जिला झुंझुनूं को अपास्त किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान मान0 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां दर्ज प्रकरण सं0 निगरानी/एलआर/60/01/जयपुर उनवानी सीताराम व अन्य बनाम भैरू व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 23.02.3006 की नजीर पेश करते हुए अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर नही दिया हैं। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नही है। अदालत मातहत ने धारा 135 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू रूल्स 1957 के प्रावधानो की पालना नही की है। जमीन जैर बहस पर विक्रेतागण रेस्पोडेन्ट सं0 4 से 9 का विकय के रोज तथा पहले भौतिक कब्जा काश्त नही रहा और गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर बेचाननामा रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 के हक में करवाया गया।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

A-4/5

केतागण रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 को जमीन पर भौतिक कब्जा नही मिला। अदालत मातहत ने कब्जे के बिन्दू को नजर अंदाज कर नामान्तरकरण जैर बहस स्वीकार करने में कानूनी गलती की है। कानून से रिकॉर्डेड सह खातेदारान् मे से कुछ सहखातेदारान द्वारा जमीन का बेचान किया जाता है तो कब्जे के बिन्दू पर रिपोर्ट लिया जाना आवश्यक होता है और कब्जे के सम्बन्ध में नामान्तरकरण की पुश्त पर नक्शा भी तरमीम किया जाता है। अदालत मातहत ने उपरोक्त विधिक स्थिति को नजर अंदाज किया है। जमीन जैर बहस के बाबत विकेतागण रेस्पोडेन्ट सं0 4 से 9 व अपीलान्ट्स तथा रेस्पोडेन्ट सं0 10 से 20 के मध्य उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू की अदालत में आदेश जैर बहस पारित होने व बेचाननामा तस्दीक होने के पहले में आदेश जैर बहस पारित होने व बेचाननामा तस्दीक होने के पहले से नियमित राजस्व वाद सं0 118/2018 लम्बित था जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 को व अदालत मातहत को रही है। बेचाननामा उपरोक्त दावा के लम्बित रहते हुये गलत रूप से करवाया गया है। उपरोक्त तथ्य को भी नजर अंदाज किया गया है। अदालत मातहत ने धारा 52 T.P. Act के प्रावधानो को नजरअंदाज किया है। अदालत मातहत को ऐसी सूरत में नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिये था। कानून से सक्षम न्यायालय में जमीन जैर बहस के बाबत यदि कोई दावा लम्बित रहता है तो उस सूरत में वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति रखा जाना आवश्यक होता है। उक्त सिद्धांत को अदालत मातहत ने नजरअंदाज किया है। अपील प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिन तय है। अपीलान्टस को बिना सुनवाई का अवसर दिए नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। ऐसी सूरत में अपीलान्ट्स को नामान्तरकरण जैर बहस की जानकारी नही हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने विकय पत्र निस्पादित व पंजीबद्ध करवाने के बाद दिनांक 09.08.2021 को जमीन को रहन रखने की धमकी दी। इस पर दिनांक 10.08.2021 को अपीलान्टस ने जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 9 के हक में हुए विरासत नामान्तकरण एवं उक्त बेचान के नामान्तकरण की जानकारी हुई। दिनांक 13.09.2021 को नामान्तकरण जैर बहस की नकल प्राप्त हुई। नामान्तकरण जैर बहस में विकय पत्र के पंजीयन की पुस्तक सं0 एवं जिल्द संख्या तथा पंजीयन कमांक का हवाला नही होने से उपपंजीयक झुंझुनूं के यहां बेचाननामा की जानकारी की और बेचाननामा की नकल प्राप्त की जो दिनाक 30.09.2021 को प्राप्त हुई। इस प्रकार संपूर्ण जानकारी 30.09.2021 को हुई। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Miseellaneous application no. 665/2021 in SMW(c) no. 3 of 2020 में पारित निर्णय दिनाक 23.09.2021 में प्रतिपादित सिद्धांत के मुताबिक अपील अन्दर मियाद पेश है। नामान्तकरण जैर बहस में वर्णित आराजियात कें संबंध में अपीलान्टस ने राजस्व अदालत मे नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा है। अपीलान्टस का जमीन जैर बहस पर कब्जा काश्त है। निर्णय जैर बहस से अपीलान्टस प्रभावित है। निर्णय जैर बहस अपीलान्टस के हितो के विपरीत है। जमीन का राजस्व रिकॉर्ड गलत बना हुआ है। गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर दावा लम्बित रहने के दौरान बेचान होकर नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टस मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2020 बाबत नामान्तकरण सं0 1084 ग्राम दोरासर तहसील व जिला झुंझुनूं को अपास्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट सं0 21 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 21 के विरूद्ध एकतरफा बहस सुनी गई।

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 लगायत 20 ने आर0आर0डी0 2007 पृष्ठ सं0 26 की नजीर पेश करते हुए वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

A-4/6

किया कि रेस्पोडेन्ट जिन्होने विवादित भूमि के कम मे विकय पत्र तस्दीक करवाया है वो विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। प्रकरण मे कोई स्थगन आदेश नही था। अपीलान्ट्स का विवादित भूमि से कोई लेना देना नही है। बेचान के आधार पर विकय की गई जमीन के कम मे भरे गये नामान्तरकरण को अपीलान्ट्स अपील मे चेलेन्ज नही कर सकते है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मे विचाराधीन दावे मे कोई मेरीट नही है। विकय पत्र मे विवादित भूमि के कब्जे का आदान प्रदान हो चुका है। प्रकरण मे धारा 52 T.P. Act के प्रावधान लागू नही होते है। विरासतन नामान्तरकरण पर ही उक्त प्रावधान लागू होते है। अतः अपील अपीलान्स खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 16.10.2020 नामान्तरकरण संख्या 1084 वाके ग्राम दोरासर स्वीकार करते समय सक्षम न्यायालय मे दावा विचाराधीन चल रहा था जिसमे पक्षकारों के हक व अधिकार तय होने है। तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा स्वीकार किये गये नामान्तरकरण सं0 1084 वाके ग्राम दोरासर से विवादित का आगे और बेचान होने की संभावना बनेगी जिससे प्रकरण मे और अधिक पेचीदगियां उत्पन्न हो सकती है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर तहसीलदार, झुंझुनूं द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1084 आदेश दिनांक 16.10.2020 वाके ग्राम दोरासर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के दावे मे आदेश किये जाने तक खारीज किया जाता है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर
झुंझुनूं

जिला कलेक्टर झुन्झुनू